भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3706**

**11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई योजना**

3706. **श्री तारिक अनवरः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2023-24 से ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, निवेशों, लाभार्थियों और प्रगति का राज्य-वार आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम और घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के सीमांचल क्षेत्र सहित अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में मंत्रालय की योजनाओं के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने, नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने या विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने को प्रोत्साहित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

**(क) से (ग):** भारत में ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम की अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को भारत की उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के विनिर्माण की क्षमताओं के संवर्धन के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जारी की गई थी। सभी राज्यों (बिहार सहित) में स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

| **मापदंड** | **दिनांक 31.03.2026 तक संचयी** |
|---|---|
| **निवेश (करोड़ रुपए)** | 44,326 |

| | |
|---|---|
| **वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष वित्तवर्ष 2019-20) (करोड़ रुपए)** | 52,414 |
| **सृजित रोजगार (संख्या)** | 67,820 |
| **संवितरित प्रोत्साहन (करोड़ रुपए)** | 2,386.36 |

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा एएटी उत्पादों (स्वच्छ प्रौद्योगिकियों सहित) के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने और ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए, पीएलआई-ऑटो स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) अनिवार्य किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आवेदकों और परीक्षण एजेंसियों (टीए) के साथ स्कीम की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। दिनांक 03.08.2026 की स्थिति के अनुसार, 18 आवेदकों को देशभर (बिहार सहित) में विनिर्मित 155 एएटी उत्पादों/वेरिएंट के लिए डीवीए प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

पीएम ई-ड्राइव स्कीम का कार्यान्वयन देशभर में किया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कोई आवंटन नहीं किया गया है। पात्र इलेक्ट्रिक वाहन क्रेताओं को वाहन के क्रय मूल्य में अग्रिम कमी के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिसकी बाद में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को प्रतिपूर्ति की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार कोई आकलन नहीं किया गया है।

*****